



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

Website- msuniversity.ac.in

Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : ~~मैमो~~/08/प्रशा०/MSU/2024-25

दिनांक: 20.04.2024

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

विषय:- शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संस्था के लॉगिन से डिजिटल सिग्नेचर से फॉरवर्ड किये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के द्वितीय चरण के छात्रों के मांगपत्र का प्रेषण करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जिला समाज कल्याण कार्यालय के पत्रांक सं०- सी०-109/स०क०/दशमो०छात्रवृत्ति/2023-24/दिनांक 03.04.2024 एवं पत्रांक सं०-C-468/स०क०/दशमो०छात्र०/2024-25/दिनांक 20.04.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संस्था के लॉगिन से डिजिटल सिग्नेचर से फॉरवर्ड किये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के द्वितीय चरण के छात्रों के मांगपत्र का प्रेषण करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय कार्यालय पत्रांक सं०-41/08/प्रशा०/MSU/2023-24 दिनांक 06.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संस्था के लॉगिन से डिजिटल सिग्नेचर से फॉरवर्ड किये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के द्वितीय चरण के छात्रों के मांगपत्र का प्रेषण विश्वविद्यालय में दिनांक 12.04.2024 को शाम 04:00 बजे तक जमा कराने के निर्देश दिये गये थे।

अतः उक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि जिन महाविद्यालयों ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संस्था के लॉगिन से डिजिटल सिग्नेचर से फॉरवर्ड किये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के द्वितीय चरण के छात्रों के मांगपत्र का प्रेषण विश्वविद्यालय में जमा नहीं कराया है उन्हें अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 22.04.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक विश्वविद्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० राकेश चन्द्र)

नोडल ऑफिसर छात्रवृत्ति

प्रतिलिपि-अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
3. उपकुलसचिव, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

नोडल ऑफिसर छात्रवृत्ति

कार्यालय:- जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर।

पत्रांक C-568 / स0प्र0 / दशमोत्तर 10 / 2024 25 / दिनांक 20/04/2024

- 1- रजिस्टार/नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति, गंगोत्री विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण/शिक्षण) सहारनपुर मंडल, सहारनपुर।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर।
- 4- पाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना, सहारनपुर।
- 5- रजिस्टार/नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति शोभित विश्वविद्यालय, गंगोह, सहारनपुर।
- 6- रजिस्टार/नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति मलोकल विश्वविद्यालय, गिजापुर, सहारनपुर।

विषय:- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शासन द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 सी-116 दिनांक 18/04/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन के पत्र संख्या-11 दिनांक 11/01/2024 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय-सारणी जारी की गयी है। समय-सारणी के अनुसार द्वितीय चरण के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करने हेतु दिनांक 16/04/2024 से 26/04/2024 तक की तिथि निर्धारित है।

निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित समय-सीमा में आपके स्तर से की जाने वाली कार्यवाही समयान्तर्गत करने के संबंध में निर्देशित किया गया है।

इस संबंध में आज दिनांक 20/04/2024 को श्री समीर वर्मा सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में छात्रवृत्ति की समीक्षा बैठक का आयोजन गूगल मीट द्वारा किया गया। बैठक में सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद स्थित विश्वविद्यालयों एवं एफिलियेटिंग वाडी को सूचित किया जाये कि दिनांक 22/04/2024 तक संबंधित संस्थानों के वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करने का कार्य पूर्ण कर लिया जाये।

अतः श्री समीर वर्मा, सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन के आज दिनांक 20/04/2024 को विडियो कॉन्फेसिंग में दिये गये निर्देशों के क्रम में उक्त कार्य को प्रत्येक दशा में 22/04/2024 तक पूर्ण करने का कष्ट करें।

(अधिका)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
सहारनपुर।

पृ0 सं0 / तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी महोदय सहारनपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक, योजनाधिकारी, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- सहायक निदेशक, नोडल छात्रवृत्ति, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
सहारनपुर।